बिल का सारांश

संविधान (123वां संशोधन) बिल, 2017

- सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलौत ने 5 अप्रैल, 2017 को लोकसभा में संविधान (123वां संशोधन) बिल, 2017 पेश किया। बिल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के समान ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को भी संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास करता है।
- **एनसीएससी** की भूमिका : वर्तमान में संविधान के तहत एनसीएससी को अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और एंग्लो इंडियंस से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की निगरानी करने का अधिकार है। बिल एनसीएससी के अधिकारों में से पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों की जांच करने का अधिकार हटाता है।
- **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा** : एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट, 1993 के तहत गठित एक निकाय है। आयोग को पिछड़ा वर्ग की सूची में समूहों को शामिल करने या उससे उन्हें हटाने से जुड़ी शिकायतों की जांच करने और इस संबंध में केंद्र सरकार को सुझाव देने का अधिकार है। बिल संविधान के तहत एनसीबीसी को स्थापित करने और उसे सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार देता है।
- उल्लेखनीय है कि बिल को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (रिपील) बिल, 2017 के साथ प्रस्तुत किया गया था, जोकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट, 1993 को रिपील करने का प्रयास करता है।
- **पिछड़ा वर्ग** : संविधान संशोधन बिल कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के गवर्नर की सलाह ले सकते हैं। हालांकि, अगर पिछड़े वर्ग की सूची में संशोधन करना हो तो संसद के कानून की जरूरत होगी।
- **संयोजन और सेवा की शर्तें** : संविधान संशोधन बिल के तहत एनसीबीसी में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पांच सदस्य होंगे। उनके कार्यकाल और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा नियमानुसार तय की जाएंगी।
- **कार्य** : संविधान संशोधन बिल के तहत एनसीबीसी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होगा : (i) संविधान और अन्य कानूनों के तहत पिछड़े वर्गों को जो सुरक्षा प्राप्त है, उसे लागू किया जा रहा है अथवा नहीं, इस बात की जांच और निगरानी करना, (ii) अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, और (iii) ऐसे वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में सलाह और सुझाव देना। केंद्र और राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में एनसीबीसी से सलाह लेंगी।
- एनसीबीसी से अपेक्षा की जाती है कि पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं, उन कामों की एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट को संसद और संबंधित राज्यों की राज्य विधानसभाओं के पटल पर रखा जाएगा।
- **सिविल कोर्ट के अधिकार** : संविधान संशोधन बिल के तहत किसी भी शिकायत की छानबीन या जांच के दौरान एनसीबीसी के पास सिविल कोर्ट के समान अधिकार होंगे। इन अधिकारों में निम्नलिखित शामिल है : (i) लोगों को समन करना और शपथ दिलवाकर उनसे पूछताछ करना, (ii) किसी दस्तावेज या पब्लिक रिकॉर्ड देने को कहना, और (iii) सबूत प्राप्त करना।

अन्विति चतुर्वेदी
anviti@prsindia.org

21 अप्रैल, 2017

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।